राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) जोधपुर

क्रमांक : रसद/जो.II/शॉप/विज्ञप्ति/2022/1055 दिनांकः– 18.08.2022

–:विज्ञप्तिः–

सावर्जनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर की रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार–पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

इस हेतु खाद्य विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 में उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशानिर्देशों के तहत सशुल्क आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2022 से कार्यालय समय में कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर, कलेक्टरेट परिसर, पावटा जोधपुर से 100/– रूपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते है। आवेदन पत्र इसी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 15.09.2022 को सायं 05:00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे। रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स	तहसील/ नगरपालिका	क्र.स.	नगरनिगम	स्थान/वार्ड सं	रिक्त/ नवसृजित
1	नगरनिगम जोधपुर	1	जोधपुर उतर	वार्ड संख्या 15	नवसृजित

उपर्युक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा तथा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में समय समय पर जारी दिशानिर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 व 25.11.2020 के दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय प्रथम, जोधपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

नोटः– उपर्युक्त रिक्तियों में से 30 प्रतिशत रिक्तियां महिलाओं हेतु आरक्षित रहेगी।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्ताएँ निम्नानुसार होगी।

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डस में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।
   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी ग्राम/वॉर्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक की "शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए"। यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति

में 12वीं कक्षा उतीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के आवेदक से यह घोषणा भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

3. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिये। निर्धारित तिथी पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार क तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।
4. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 वर्ग फीट न्युनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लू प्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
5. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगः–
   - आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
   - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
   - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
   - आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधी नहीं है।
   - आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जावेगा।
6. आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
7. विभागीय पत्रांक एफ17(16)खा.वि./विधि(न्याय)/2011 जयपुर दिनांक 26.12.2019 के अनुसार समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पजींकृत हैं, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बंध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय **सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/– रूपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा में गंभीर अनियमितता नहीं है।**
8. महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
   - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
   - समूह का कम से कम वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
   - समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेनदेन में संलग्न हो।

9. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रिय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
10. विभागीय पत्रांक एफ17(11)खा.वि./न्याय/उदयपुर/2012 दिनांक 23.06.2022 के अनुसार **उचित मूल्य दुकान आवंटन के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति) को एक से अधिक प्राधिकार– पत्र जारी किये जाने हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।** अतः पूर्व में उचित मूल्य दुकान हेतु प्राधिकृत ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस आवेदन की पात्र नहीं होगी।
11. आवेदक /समितियों/समूह/निकाय/में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।
13. आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/नहीं भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर रसद
जोधपुर

क्रमांक : रसद/जो.II/शॉप/विज्ञप्ति/2022/ 1056-1080 दिनांकः– 18.08.2022

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव प्रथम/द्वितीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर।
5. माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र जोधपुर
6. माननीय विधायक महोदय, जोधपुर शहर/सरदारपुरा/सूरसागर।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को जनहित में निशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
8. ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति खाद्य विभाग की वेबसाईट www.food.raj.nic.in पर अपलोड कराने बाबत।
9. ए.सी.पी. सूचना एवं तकनीकी विभाग, जोधपुर को उक्त विज्ञप्ति जोधपुर जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
10. उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उतर
11. आयुक्त नगर निगम जोधपुर उतर/जोधपुर दक्षिण।
12. प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जोधपुर।
13. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।

(अनिल पंवार)
जिला रसद अधिकारी (प्रथम)
जोधपुर